तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत घासीपुरा मु.सं. 16/2024 GCMS-2024/06//	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से पूर्व में श्री कुलदीप सिंह एड0 ने मैमो पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 3 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट सं0 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.04.2005 बाबत नामान्तरकरण संख्या 402 ग्राम कोला की नांगल ग्राम पंचायत घासीपुरा स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी पुराने ख0नं0 434 रकबा 1.15 है0 के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के पिता स्व0 सोहन पुत्र पन्ना के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रही हैं। अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पुराने ख0नं0 434 में से 0.23 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 11.03.2005 को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया गया। उक्त भूमि के नये सैटलमेन्ट में नये ख0नं0 632, 633, 634 कुल किता 03 कुल रकबा 1.15 है के रूप में दर्ज हैं। उक्त भूमि के विक्रय करने के पश्चात अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो गया। विक्रय की गई भूमि बाबत जो नामान्तरकरण सं0 402 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया उसमें पटवारी हल्का ने सोहन पुत्र पन्ना के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा (0.575 है0) सम्पूर्ण दर्ज करते हुए विवादित नामान्तरकरण भर दिया गया। जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 402 ग्राम कोला की नांगल ग्राम पंचायत घासीपुरा दिनांक 05.04.2005 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट के पिता स्व0 सोहन पुत्र पन्ना द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 11.03.2005 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण भरा जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.09. 2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:27:13 IST
Reason: SelfAttested